न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :– महेन्द्र मीणा, आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या 80/2014

प्रार्थी

1. रामेश्वरलाल पुत्र श्री भंवरलाल जाति जाट निवासी आसपुरा तहसील कुचामन सिटी जिला नागौर।

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. मदनलाल पुत्र श्री भंवरलाल जाति जाट निवासी आसपुरा तह. कुचामन सिटी।
2. लक्ष्मीनारायण पुत्र श्री भंवरलाल जाति जाट निवासी आसपुरा तह. कुचामन सिटी।
3. ओमप्रकाश पुत्र श्री भंवरलाल जाति जाट निवासी आसपुरा तह. कुचामन सिटी।
4. गिरधारीलाल पुत्र श्री भंवरलाल जाति जाट निवासी आसपुरा तह. कुचामन सिटी।
5. पटवारी हल्का जिलिया तहसील कुचामन सिटी जिला नागौर।
6. राजस्थान सरकार जरिए प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामन सिटी (भूमिधारी)

प्रार्थना पत्र बाबत अन्तर्गत धारा 136 आर. एल. आर. एक्ट 1956

उपस्थित :– श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।

आदेश

दिनाँक :– 19/01/2017

प्रार्थी के ओर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि ग्राम आसपुरा पटवार हल्का जिलिया तहसील कुचामनसिटी की सरहद में स्थित कृषि आराजी भूमि खसरा न. 382 रकबा 2.77 हैक्टर, खसरा न. 383 रकबा 2.61 हैक्टर, खसरा न. 384 रकबा 2.33 हैक्टर, खसरा न. 385 रकबा 7.21 हैक्टर, खसरा न. 387 रकबा 5.25 हैक्टर, खसरा न. 388 रकबा 4.60 हैक्टर, खसरा न. 392 रकबा 4.20 हैक्टर, खसरा न. 396 रकबा 2.55 हैक्टर, खसरा न. 397 रकबा 1.36 हैक्टर, खसरा न. 398 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा न. 399 रकबा 0.15 हैक्टर, खसरा न. 400 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा न. 401 रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा न. 402 रकबा 3.65 हैक्टर, खसरा न. 403 रकबा 3.78 हैक्टर, खसरा न. 404 रकबा 3.25 हैक्टर, खसरा न. 405 रकबा 2.75 हैक्टर, खसरा न. 406 रकबा 3.10 हैक्टर, खसरा न. 407 रकबा 2.76 हैक्टर, खसरा न. 408 रकबा 0.21 हैक्टर, खसरा न. 409 रकबा 0.99 हैक्टर, खसरा न. 410 रकबा 0.44 हैक्टर, खसरा न. 411 रकबा 1.82 हैक्टर, खसरा न. 430 रकबा 1.55 हैक्टर, खसरा न. 431 रकबा 2.10 हैक्टर, खसरा न. 432 रकबा 0.47 हैक्टर, खसरा न. 433 रकबा 1.70 हैक्टर, खसरा न. 434 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा न. 435 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा न. 436 रकबा 2.31 हैक्टर, खसरा न. 437 रकबा 1.30 हैक्टर, खसरा न. 544/412 रकबा 0.55 हैक्टर, खसरा न. 548/429 रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा न. 549/429 रकबा 0.20 हैक्टर कुल रकबा 66.23 हैक्टर व खसरा न. 412 रकबा 0.43 हैक्टर, खसरा न. 429 रकबा 0.45 हैक्टर, खसरा न. 543/411 रकबा 0.04 हैक्टर, कुल रकबा 0.92 हैक्टर भूमि व खसरा न. 393 रकबा 1.25

-2-

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

हैक्टर, खसरा न. 394 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा न. 395 रकबा 1.14 हैक्टर, खसरा न. 438 रकबा 0.80 हैक्टर, खसरा न. 439 रकबा 0.16 हैक्टर कुल रकबा 3.40 हैक्टर भूमि स्थित है। वर्तमान खसरा न. 413 गै.मु.रास्ता दर्ज किया गया है जो कि वर्तमान खसरा न. 396, 437, 397, 398, 399, 433, 432, 408, 409, 430, 410, 411, 548/429, 544/412, 413/429, 543/411, 549/429 के कायम किया गया है जबकि उन खसरा नम्बरों में पूर्व में रास्ता नही था। नवीन सेटलमेन्ट अधिकारियों की गलती से नवीन खसरा न. 413 जो कि रास्ता कायम किया गया है जबकि यहां से पूर्व में किसी प्रकार का सरकारी रास्ता नही था, न ही आम रास्ता आज दिन है। उपरोक्त रास्ता प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 के स्वयं के बंट के कृषि भूमि में ही आने जाने के लिए काम आता रहा है जबकि सरकारी रेकॉर्ड में रास्ता कायम किया गया है, जबकि मौके पर यह रास्ता आम रास्ता नही रहा है। उपरोक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाने से प्रार्थी के खेत के दोनो और रखा गया है जिससे काफी असुविधा हो रही है एवं खेत को दो टुकड़ो में विभाजित कर दिया जबकि मौके पर यह उपरोक्त खेत एक ही चक में अवस्थित है। उपरोक्त कृषि भूमि में खसरा न. 412, 429, 543/411 का रकबा मौके पर तो बराबर है परन्तु खेत में से कम कर दिया जो सरकारी खाते में दर्ज कर दिया इसलिए खसरा न. 413 को निरस्त कर खसरा न. 412, 429, 543/411 का रकबा खाते में पूर्व की भांति दर्ज किया जावे। उपरोक्त खसरा के सीमा के सहारे- सहारे अलग से रास्ता दर्ज चला आ रहा है इसलिए आम जनता के रास्ता वह उपयोग में आता है एवं यह रास्ता विधि रूप से ही काम आता है। प्रार्थी की इस्तदुआ है कि ग्राम आसपुरा तहसील कुचामन सिटी में स्थित खसरा न. 413 रास्ता दर्ज है जो कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी 1 ता 4 के कब्जा सुदा खातेदारी भूमि में दर्ज है जबकि मौके पर बंट है आम रास्ता नही है। आम रास्ता उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बर के पास-पास चला आ रहा है इसलिए खसरा न. 413 गै.मु. रास्ता को निरस्त कर प्रार्थी व अप्रार्थीगण के खातेदारी में दुरूस्त किया जाने का आदेश तहसीलदार कुचामन सिटी को प्रदान करावे।

प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद इतला अनुपस्थित रहे, जिससे उनके विरूद्व एक-पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। इसी दौरान तहसीलदार कुचामनसिटी को वादग्रस्त भूमि से सम्बन्धित मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया। तहसीलदार कुचामनसिटी की ओर से मौका रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत की गई, जो शामिल मिसल उपलब्ध है। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रार्थी की ओर से नकल खतौनी सम्वत 2011-2014, 2019-2022, 2035-2038, 2038-2041, 2047-2050, 2051-2054, 2067-2070 की नकल एवं नक्शा ट्रेस की नकल, मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2008,एवं 2046-2065 की नकल, पुराना नक्शा ट्रेस, मिलान क्षेत्रफल, की नकल प्रस्तुत की।

वकील वादी की बहस सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया ।नकल मिसल बन्दोबस्त 2008 अनुसार धन्ना वल्द बोदू कुम्हार सा. दहे खातेदार खसरा नम्बर 94 रकबा 8 बीघा, खसरा नम्बर 95 रकबा 8 बीघा 15 बिस्वा दर्ज है। सम्वत 2011-2014 अनुसार ग्राम आसपुरा के खसरा नम्बर 94 रकबा 8 बीघा, खसरा नम्बर 95 रकबा 8 बीघा 15 बिस्वा मे धना पुत्र बोदू कौम गुजर सा.देह खातेदार दर्ज है सम्वत 2019-2022 ग्राम आसपुरा के खसरा नम्बर 94 रकबा 8 बीघा, खसरा नम्बर

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

95 रकबा 8 बीघा 15 बिस्वा में धना पुत्र बोदू कुम्हार सा.देह खातेदार दर्ज है, सम्वत 2047–2050 अनुसार खसरा नम्बर 412 रकबा 0.43 हैक्टर खसरा नम्बर 429 रकबा 0.45 हैक्टर खसरा नम्बर 543/411 रकबा 0.04 हैक्टर कुल रकबा 0.92 हैक्टर में भंवरलाल पुत्र हनुमानराम मु.रामीदेवी बैवा हनुमानराम कौम जाट सा.देह खातेदार दर्ज है, इसी अनुसार आगामी वर्षो में खातेदारी दर्ज रही है। मिलान क्षेत्रफल अनुसार गत खसरा नम्बर 94, 95 के नये नम्बर 412 413 429 543/411 293 दर्ज हुये जिसमे खसरा नम्बर 413 गत खसरा नम्बर 91 89 68 73 92 93 94 96 97 100 मि. से बना है खसरा नम्बर 293 गत खसरा नम्बर 94 एवं 95 से बना है। तहसीलदार कुचामनसिटी के पत्रांक/भू.अ. /1864 दिनॉक 23.8.2016 के संलग्न प्राप्त भू.अ. निरीक्षक जिलिया द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनॉक 17.03.2016 अनुसार "खसरा नम्बर 413 गै.मु.रास्ता नवीन भू–प्रबन्ध 1986–87 मे कायम किया गया है, गत भू–प्रबन्ध में यह रास्ता कटाणी नही था, ग्राम आसपुरा के खसरा नम्बर 382 से 385 387 388 392 396 से 411 430 से 437 544/412 548/429 393 से 395 438 439 प्रार्थी व अप्रार्थीगण 1 ता 4 के साथ अन्य सह खातेदो की संयुक्त खातेदारी की भूमि रेकार्ड में अभिलिखत है। भाई बंटवारे के अनुसार 395 से 397 437 438 398 399 433 432 408 से 411 544/412 543/411 412 430 429 548/429 549/429 प्रार्थी व अप्रार्थीगण 1 ता 4 के कब्जे काश्त मे है। खसरा नम्बर 413 गै.मु.रास्ता प्रारम्भिक बिन्दू नजरी नक्शे मे लाला स्याही से दर्शाये **A** स्थान से चालू होकर नजरी नक्शे में दर्शाये **B** स्थान तक चालू हालत मे है, आवागमन के निशानात मौजूद है खसरा नम्बर 437 मे लाल स्याही से दर्शाये **B** स्थान पर मदनलाल पुत्र भंवरलाल जाति जाट ने रहवासी मकानात बना रखे है। उक्त मकानात मे आवगमन हेतु रास्ता काम आ रहा है, लाल स्याही से दर्शित **B** स्थान से **C** स्थान तक मौके पर रास्ता चालू हालत मे नही है तथा न ही कोई निशानात है। खसरा नम्बर 311 रकबा 0.15 हैक्टर गै.मु.ढ़ाणी है जिसमे गिरधारीलाल पुत्र भंवरलाल जाति जाट हाल आबाद है तथा खसरा नम्बर 409 मे लाल स्याही से दर्शाये स्थान पर लिछमणराम पुत्र भंवरलाल के मकानात बने हुए है तथा खसरा नम्बर 411 मे लाल स्याही से दर्शाये स्थान पर औमप्रकाश पुत्र भंवरलाल के मकानात बने हुए है जिसमे औमप्रकाश निवास कर रहा है लाल स्याही से दर्शाये **C** स्थान से **D** स्थान तक रास्ता रेकार्ड मे कटाणी स्थान पर चल रहा है। इसके आगे खसरा नम्बर 408 409 410 की उत्तरी सीमा के सहारे–सहारे रास्ता चालू हालत मे है खसरा नम्बर 411 में औमप्रकाश पुत्र भंवरलाल के मकानात तक आने जाने के काम आ रहा है आगे खसरा नम्बर 412 मे रास्ता बंद है। उक्त वर्णित रास्ता खसरा नम्बर 413 प्रार्थी व अप्रार्थीगण 1 ता 4 की भूमि में आने जाने के काम नही आ रहा है अन्य खातेदारी भूमि में आने जाने के काम नही आ रहा है, खसरा नम्बर 395से398, 408से412, 430, 432, 433, 437, 438 एक चक मे स्थित है अर्थात एक दूसरे से सटे हुए है"।

प्रकरण के सम्पूर्ण विवेचन से स्पष्ट है कि गत खसरा नम्बर 94 का रकबा 7 बीघा 2 बिस्वा महकमा माल श्री दरबार मारवाड़ के समय रहा है तत्पश्चात 8 बीघा रहा है नवीन सेटलमेन्ट मे भूमि का रकबा 0.92 हैक्टर दर्ज हुआ जिसका रकबा लगभग 5 बीघा 14 बिस्वा है इसलिए प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की भूमि कम दर्ज हुई है जो रास्ते के खसरा नम्बर 413 मे सम्मिलित हो गई , रिपोर्ट भू.अ.निरीक्षक अनुसार खसरा नम्बर 412 429 543/511 के सामने रास्ता की भूमि खातेदारो की भूमि है चूँकि उक्त खसरा की भूमि तक ही रास्ता

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

है तत्पश्चात कोई रास्ता नही है तथा नही रास्ते के अलामाद है इस प्रकार यदि 412 429 543/511 के सामने अंकित रास्ते की भूमि खसरा नम्बर 413 मे से लगभग 0.22 हैक्टर है उसे प्रार्थी एवं अप्रार्थी 1 से 4 का कब्जा काश्त मानते हुए इनके पक्ष में शुद्धि किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता है। प्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर 413 रकबा 0.67 हैक्टर भूमि गत खसरा नम्बर 91 मि. 89मि. 68मि. 73मि. 92मि. 93मि. 94मि. 96मि. 97मि. 100मि. से मिलकर बनी है इसलिए 0.67 हैक्टर की रिलिफ प्रार्थी को नही दी जा सकती चूँकि प्रार्थी को प्राप्त खातेदारी अधिकार गत खसरा नम्बर 94 से ही मिले है, इस प्रकार पक्षकारान का प्रार्थना–पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है।

आदेश

प्रार्थना–पत्र प्रार्थी आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम आसपुरा के खसरा नम्बर 413 रकबा 0.67 हैक्टर गै.मु. रास्ता मे से खसरा नम्बर 412 429 543/511 के सामने अंकित रास्ते की भूमि 0.22 हैक्टर प्रार्थी एवं अप्रार्थी 1 से 4 के नाम शुद्व किये जाने के आदेश दिये जाते है। शेष खाता एवं रास्ता बदस्तूर रहेगा। उक्त अनुसार राजस्व रेकार्ड एवं नक्शे मे दुरूस्ति किये जाने के आदेश तहसीलदार कुचामनसिटी को दिये जाते है, तहसीलदार कुचामनसिटी के नाम तहरीर जारी हो।

यह आदेश आज दिनॉक 19/01/2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

(महेन्द्र मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला (नागौर)

क्रमांक / राजस्व / 2017 / 84 दिनॉकः– 7/6/17

प्रेषित :– तहसीलदार

कुचामनसिटी

विषय :–राजस्व प्रार्थना–पत्र सं. 80 / 2014 रामेश्वरलाल बनाम मदनलाल वगैरह में पारति आदेश 19.01.2017 में आंशिक संशोधन बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस न्यायालय के राजस्व प्रार्थना–पत्र सं. 80 / 2014 रामेश्वरलाल बनाम मदनलाल वगैरह में पारति आदेश 19.01.2017 में आंशिक संशोधन हेतु प्रार्थी वकील द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर कथन किया है ग्राम आसपुरा के खसरा नम्बर 543 / 411 के स्थान पर खसरा नम्बर 543 / 511 टंकणीय भूलवश अंकित हो गया है तथा आदेश में अंकित 0.22 के स्थान पर 0.0528 हैक्टर रकबा संशोधन किये जाने की इस्तदुआ की है।

प्रकरण का अवलोकन करने के पश्चात उपरोक्तानुसार संशोधन किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होने से निम्न प्रकार आंशिक संशोधन किया जाता है।

अतः पूर्व **प्रविष्टि ("प्रार्थना–पत्र प्रार्थी आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम आसपुरा के खसरा नम्बर 513 रकबा 0.67 हैक्टर गै.मु. रास्ता मे से खसरा नम्बर 412 429 543 / 511 के सामने अंकित रास्ते की भूमि 0.22 हैक्टर प्रार्थी एवं अप्रार्थी 1 से 4 के नाम शुद्व किये जाने के आदेश दिये जाते है। शेष खाता एवं रास्ता बदस्तूर रहेगा। उक्त अनुसार राजस्व रेकार्ड एवं नक्शे मे दुरूस्ति किये जाने के आदेश तहसीलदार कुचामनसिटी को दिये जाते है, तहसीलदार कुचामनसिटी के नाम तहरीर जारी हो।")** के स्थान पर निम्न प्रकार प्रविष्टि पढ़ी जावे :–

(" प्रार्थना–पत्र प्रार्थी आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम आसपुरा के खसरा नम्बर 413 रकबा 0.67 हैक्टर गै.मु. रास्ता मे से खसरा नम्बर 412 429 543 / 411 के सामने अंकित रास्ते की भूमि 0.0528 हैक्टर प्रार्थी एवं अप्रार्थी 1 से 4 के नाम शुद्व किये जाने के आदेश दिये जाते है। शेष खाता एवं रास्ता बदस्तूर रहेगा। उक्त अनुसार राजस्व रेकार्ड एवं नक्शे मे दुरूस्ति किये जाने के आदेश तहसीलदार कुचामनसिटी को दिये जाते है, तहसीलदार कुचामनसिटी के नाम तहरीर जारी हो।")

उक्त अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद कर पालना प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)